

Court of ACJM, Biraul

Biraul-279/17

G.R.- 547/17

11.07.19

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत कांड में अनुसंधानकर्ता ने आरोप-पत्र एवं वाद दैनिकी भा0द0वि0 की धारा-341, 323, 379, 308/34 के अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त 1. प्रियरंजन कुमार चौधरी एवं दो अन्य, जिनका नाम आरोप-पत्र की कंडिका 11(i) में अंकित है, के विरुद्ध समर्पित किया गया है।

प्राथमिकी, आरोप-पत्र, वाद-दैनिकी सहित अभिलेख पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों के अवलोकनोपरांत प्राथमिकी अभियुक्त 1. प्रियरंजन कुमार चौधरी 2. रामकुमार चौधरी 3. इंदाला देवी के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा- 341, 323, 379, 308/34 के अंतर्गत प्रथम दृष्टया ममला बनता हुआ पाया जाता है।

तदनुसार आरोप-पत्रित अभियुक्त 1. प्रियरंजन चौधरी एवं दो अन्य, के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा- 341, 323, 379, 308/34 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया जाता है।

वाद को विधिवत दौड़ा सुपुर्दगी हेतु निजी -संचिका में रखा जाता है।

कार्यालय अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु समन निर्गत करे।

दिनांक- 11.12.19 वास्ते उपस्थिति।

लेखापित

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी